न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 08 / 2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023 / 143

प्रार्थीगण

1 मृतक तिलोकचन्द्र पुत्र हंजारीमलजी जाति–ओसवाल (महाजन), निवासी– सांचौर के कायम मुकाम

1 मांगीलाल पुत्र तिलोकचन्दजी

2 ललित कुमार पुत्र तिलोकचन्दजी

3 जगदीश कुमार पुत्र तिलोकचन्दजी

4 उषा पुत्री तिलोकचन्दजी

5 दाड़मी पुत्री तिलोकचन्दजी

6 भागू पुत्री तिलोकचन्दजी

7 रेशमी पुत्री तिलोकचन्दजी

8 मृतक ढेली पुत्र तिलोकचंदजी जातियान–ओसवाल(महाजन) निवासी–सांचौर, तहसील–सांचौर के कायम मुकाम

(अ) श्रेणीक पुत्र ढेली

(ब) राकेश पुत्र ढेली

(स) विशाल पुत्र ढेली

(द) निशा पुत्री ढेली

जातियान–ओसवाल (महाजन) निवासी–सांचौर, तहसील–सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

2 बच्छराज पुत्र भीखाजी, जाति–ओसवाल (महाजन) के कायम मुकाम

अ मांगीलाल पुत्र बच्छराजजी

ब रिखबचन्द पुत्र बच्छराजजी

स गणपत पुत्र बच्छराजजी

द कमलाबेन पुत्री बच्छराजजी

य रामूबेन पुत्री बच्छराजजी

र प्रमीला पुत्री बच्छराजजी

जातियान–ओसवाल (महाजन), निवासी–सांचौर, तह–सांचौर

3 मांगीलाल पुत्र बच्छराजजी जाति–ओसवाल (महाजन) निवासी–सांचौर, तहसील–सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 29.09.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भग[illegible]ालोत व सुरेश कुमार पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पराकार नायब [illegible]दार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम व 3 के विरूद्ध ए[illegible]क्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:17 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय :– दिनांक :– 18.10.2024

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मांगीलाल वगैरह ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा–सांचौर में प्रार्थीगण व अन्य के सहखातेदारी के खेत खसरा संख्या 1498 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1499 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1500 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1501 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1502 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1503 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1504 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1505 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1507 रकबा 2.43 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1508 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1509 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1510 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1511 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1512 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1513 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1514 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1515 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1516 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1518 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1519 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1520 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1521 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1522 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1523 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1524 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1525 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1526 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1529 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1530 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1531 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1532 रकबा 0.09 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.14 हैक्टेयर, जिसमें पूराना खेत खसरा संख्या 105 रकबा 59 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से हमारे स्व. पिता/नाना तिलोकचंद व अन्य ने हाजा पुत्र डूंगरा कलबी से दिनांक 17.09.1963 को सरकारी 10 बीघा भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया बेचान दस्तावेज व कब्जा अनुसार हमारे स्व. पिता तिलोकचंदजी ने 10 बीघा भूमि जिसमें से तिलोकचंदजी ने सरकारी 4 बिघा यानि रकबा 0.64 हैक्टेयर खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 70 स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 70 में हमारे स्व. पिता/नाना का 4/10 हिस्सा दर्ज किया गया व पुराना खसरा संख्या 105/2 सृजित किये गये।

बेचान दस्तावेजों अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 बच्छराज पुत्र भीखाजी ने सरकारी 1 बीघा भूमि व अप्रार्थी संख्या 3 मांगीलाल पुत्र बच्छराज ने सरकारी 1 बीघा भूमि खरीद की जो बेचान दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 70 से स्पष्ट है उक्त बच्छराज व मांगीलाल ने इसी खसरा संख्या 105 में से भूमि खरीद [illegible] मांगीलाल व बच्छराज के [illegible] से [illegible] खेत खसरा संख्या 105 में रकबा 0.04 हैक्टेयर व 0.04 हैक्टेयर [illegible] 0.20 हैक्टेयर भूमि आती है से बच्छराज के बंट में रकबा 0.20 हैक्टेयर व मांगीलाल के [illegible] बच्छराज व मांगीलाल ने अपने 0.20 हैक्टेयर में से अपनी [illegible]यों बहिनों समू बेन वगैरह को अपने हिस्से में से सरकारी 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 21.08.1982 को बेचान की गई, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 811 उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा गया जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

भूलवश त्रुटिवंश हमारे स्व. पिता/नाना तिलोकचंद के 4/10 हिस्से की बजाय 2/10 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा हमारे खातेदारी में भूमि भूलवंश कम दर्ज कर दी गई जिसमें सुधारा जाना न्यायसंगत है चुंकि 4/10 की बजाय भूलवंश 2/10 हिस्सा दर्ज किया गया है जो एक मानवीय लिपिकीय भूल है जिसे सुधार कर न्यायहित में 2/10 की जगह 4/10 किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हमारे हिस्से में सुधार किया जाना न्यायसंगत है चुंकि उक्त आराजी खरीद के पश्चात हमारे स्व. पिता/नाना ने कभी कोई भूमि बेचान नहीं की है तथा बच्छराज व मांगीलाल के खाते में ज्यादा दर्ज भूमि को कम कर 0.034 हैक्टेयर भूमि दर्ज किया जाना न्यायसंगत है चुंकि उक्त पुराना खसरा संख्या 105 से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नये खसरा संख्या 1498 से 1505 व 1507 से 1516 व 1518 से 1520, 1521 से 1527, 1529 से 1532 जुमले रकबा 8.14 हैक्टेयर भूमि में बच्छराज के खाते में 303/20,350 वां हिस्सा यानी रकबा 0.1212 हैक्टेयर व इसी प्रकार मांगीलाल के खाते में 97/4070 वां हिस्सा यानी रकबा 0.194 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज कर दी है यानि मांगीलाल के खाते में रकबा 0.034 हैक्टेयर की बजाय 0.194 होने से रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज की गई है व इसी प्रकार बच्छराज के खाते में रकबा 0.034 की बजाय रकबा 0.1212 हैक्टेयर दर्ज होने से यानि 0.0872 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है उक्त दोनो बच्छराज व मांगीलाल के खाते में अधिक दर्ज की गई भूमि रकबा 0.0872 हैक्टेयर, बच्छराज के खाते में से तथा 0.16 हैक्टेयर भूमि मांगीलाल के खाते में से जो भूलवंश अधिक दर्ज की गई भूमि जुमले रकबा 0.2472 हमारे खाते में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। उक्त भूलवंश व त्रुटिवंश हमारे खाते में भूमि कम दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते में अधिक भूमि दर्ज होने की हमें पूर्व में जानकारी नहीं थी किन्तु एक माह पूर्व मेरी खातेदारी खेतों की जमाबंदी की नकल लेने पर तत्पश्चात तहसील कार्यालय आदि से नकलें आदि प्राप्त करने पर पुख्ता जानकारी होने पर व तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भूलवंश उनके खाते में अधिक दर्ज भूमि हमारे खाते में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कहा की हमारे राज्य सरकार का नोटिस आएगा तो हम आपके पक्ष में ब्यान कर देंगे। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र अन्दर म्याद पेश है अन्त में प्रार्थीगण ने निवेदन किया मौजा सांचौर के उपरोक्त खसरा नंबर की कुल जुमले रकबा 8. 14 हैक्टेयर भूमि पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 811 में त्रुटिवंश लिपिकीय भूलवंश 4/10 वां हिस्सा की बजाय 2/10 वा हिस्सा दर्ज किया गया तत्पश्चात वर्तमान राजस्व रेकर्ड में किया गया गलत इन्द्राज को सुधारा जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते में उनके हिस्से से [illegible] वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रकबा अधिक हमारे हिस्से की भूमि दर्ज की गई उसे सुधार [illegible] हिस्सा अनुसार 8.14 हैक्टेयर में से सरकारी 10 बीघा भूमि [illegible] रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] करमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम अ,ब,स,द,य,र व अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामिल के उनको जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

सांचौर के वर्तमान जमाबंदी चौसाला संवत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 315 की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1498 से 1505, 1507 से 1516, 1518 से 1527, 1529 से 1532 जुमले रकबा 8.14 हैक्टेयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के आये हुए है जो प्रार्थीगण के खरीदशुदा खातेदारी भूमि के पुराना खसरा संख्या 105 रकबा 59 बीघा 15 बिस्वा से सृजित हुए है तथा प्रार्थीगण ने दिनांक 17.09.1963 को बेचान रजिस्ट्री के जरिये संयुक्त रूप पुराने खसरा संख्या 105 रकबा 59 बिघा 15 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। बेचान रजिस्ट्री अनुसार तिलोकचन्द पुत्र हंजारीमल का हिस्सा 4 बीघा अंकित है लेकिन राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के दौरान लिपिकीय त्रुटि से 2 बीघा अंकित हो जाने से रिकॉर्ड में अशुद्धि हुई है अन्त में जवाब में निवेदन किया कि बेचान रजिस्ट्री में अंकित हिस्सा अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सांचौर में उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की खरीदशुदा पुराने खेत खसरा संख्या 105 रकबा 59 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 10 बीघा भूमि जरिये बेचान दस्तावेज के दिनांक 17.09.1963 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उपरोक्त पुराने खेत खसरा संख्या 105 रकबा 59 बीघा 15 बिस्वा से नये खसरा संख्या 1498 से 1505, 1507 से 1516, 1518 से 1520, 1521 से 1527, 1529 से 1532 जुमले रकबा 8.14 हैक्टेयर भूमि नवसृजित हुए जिसमें प्रार्थीगण का 4/10 वा हिस्सा खरीदसुदा होते हुए भूलवंश त्रुटिवंश प्रार्थीगण का हिस्सा 2/10 दर्ज कर दिया गया जो एक कानुनी एवं लिपिकीया भूल होने से उसे सुधारा जाकर तथा बच्छराज व मांगीलाल के खाते में ज्यादा दर्ज भूमि को कम किया जाना न्यायसंगत है चुंकि बच्छराज, मांगीलाल के खाते में 303/20350 वां हिस्सा यानि रकबा 0.1212 हैक्टेयर व इसी प्रकार मांगीलाल के खाते में 97/4070 वां हिस्सा यानि रकबा 0.194 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज की गई है यानि मांगीलाल के खाते रकबा 0.034 हैक्टेयर की बजाय 0.194 हैक्टेयर होने से रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज की गई व इसी प्रकार बच्छराज के खाता में रकबा 0.034 की बजाय रकबा 0.1212 हैक्टेयर होने से यानि 0.0872 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज की गई है जो जुमले रकबा 0.2472 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते में भूलवंश त्रुटिवंश 0.2472 हैक्टेयर भूमि अधिक नामान्तरकरण संख्या 811 के जरिये दर्ज की गई है जो एक मानवीय व लिपीकीय भूल होने से उसे सुधारा जाकर उपरोक्तानुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खाते में दर्ज की गई अधिक भूमि रकबा 0.2472 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज की जाकर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार रेकर्ड दुरूस्ती करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को निर्देश करावें।

राज पैरोकार सांचौर ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी में 10 बीघा भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया तथा प्रार्थीगण का हिस्सा बेचान दस्तावेज में 4 बीघा अंकित होने के बावजूद राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

रेकर्ड में अमलदरामद के दौरान लिपिकीय त्रुटि में 2 बीघा अंकन हो जाने से रिकॉर्ड में अशुद्धि हुई है जिसे सुधारा जाना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के पिता/नाना त्रिलोकचंद व अन्य जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 17.09.1963 को पुराने खसरा संख्या 105 रकबा 59 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि खरीद की जिसमें प्रार्थीगण के पिता/नाना त्रिलोकचंद पुत्र हंजारीमल जाति–महाजन निवासी–सांचौर वालों ने सरकारी 4 बीघा भूमि खरीद की गई इस प्रकार पुराने खसरा संख्या 105 से नवीन खसरा संख्या 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1529, 1530, 1531, 1532 जुमले रकवा 8.14 हैक्टेयर सृजित हुए राज पैरोकार अप्रार्थी संख्या 1 अपने जवाब में बताया है कि त्रिलोकचंद पुत्र हंजारीमल ओसवाल ने दिनांक 17.09.1963 में खसरा संख्या 105 रकवा 59 बीघा 15 बिस्वा में से 04 बीघा भूमि खरीद की है, जो बेचान दस्तावेज में अंकित है तथा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के दौरान लिपिकीय त्रुटि में 2 बीघा अंकित हो जाने से रिकॉर्ड में अशुद्धि हुई है प्रार्थीगण त्रिलोकचंद के उतराधिकारी खातेदार है तथा बेचान रजिस्ट्री में दर्ज हिस्सा अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार को कोई हित प्रभावित नहीं होता है इस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 0.2472 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई है तथा उक्त अप्रार्थी संख्या 2 अ, ब, स, द, य, र, व अप्रार्थी संख्या 3 के खाते में ज्यादा दर्ज होने से प्रार्थीगण रकवा 0.2472 हैक्टेयर की रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का हकदार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

उपरोक्त: विवेचानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 1498 से 1505, 1507 से 1516, 1518 से 1527, 1529 से 1532, जुमले रकवा 8.14 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम अ, ब, स, द, य, र के खाते में से रकबा 0.0872 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी संख्या 3 मांगीलाल पुत्र वच्छराज के खाते में से रकवा 0.16 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर कुल रकवा 0.2472 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती की जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:17 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner